न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत सोमनाथ, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 111/2023 राजस्व वाद

दायर दिनांक 5.7.2023

1– श्री जहुर मोहम्मद पुत्र इब्राहिम शेख के कायम मुकामः–

1/1. मोहम्मद हबीब मोहम्मद पुत्र जहुर मोहम्मद शेख निवासी बहाला पुरानी धान मण्डी मदीना चौक भीलवाडा।

1/2. फकरूदीन पुत्र जहुर मोहम्मद शेख निवासी बहाला पुरानी धान मण्डी मदीना चौक भीलवाडा।

1/3. मोहम्मद उमर पुत्र जहुर मोहम्मद शेख निवासी बहाला पुरानी धान मण्डी मदीना चौक भीलवाडा–मृतक के बजाय :–

1/3/1– नसीम शेख पत्नी मोहम्मद उमर

1/3/2– निलोफर शेख पुत्री मोहम्मद उमर

1/3/3– बेनजीर शेख पुत्री मोहम्मद उमर

1/3/4–शाहिद हुसैन शेख पुत्र मोहम्मद उमर सर्वनिवासी बहाला पुरानी धानमण्डी मदीना चौक भीलवाडा।

1/4. अल्ताफ हुसेन पुत्र जहुर मोहम्मद शेख निवासी बहाला पुरानी धान मण्डी मदीना चौक भीलवाडा।

1/5. आबीद हुसैन पुत्र जहुर मोहम्मद शेख निवासी बहाला पुरानी धान मण्डी मदीना चौक भीलवाडा।

1/6. बरकत अली पुत्र जहुर मोहम्मद शेख निवासी बहाला पुरानी धान मण्डी मदीना चौक भीलवाडा।

1/7. मरियम बेवा जहूर मोहम्मद शेख निवासी बहाला पुरानी धानमण्डी मदीना चौक भीलवाडा (मृतक) **डिलीट**

1/8. मु. रमजानू पुत्री जहूर मोहम्मद शेख पत्नि मोहम्मद उमर निवासी फूटा खुर्रा रामगंज बाजार जयपुर

1/9. मुस. जुबेदा पुत्री जहूर मोहम्मद पत्नी इमामुदीन मुसलमान निवासी पुरानी धानमण्डी मोमीनो की मस्जिद के पास भीलवाडा।

1/10.नूरजहाँ बानू पुत्री जहूर मोहम्मद पत्नी अब्दुल रसीद मुसलमान निवासी मजदूर कालोनी घोषी मोहल्ला भीलवाडा मृतका के बजाय :–

1/10/1–वसीम अकरम शेख पुत्र अब्दुल रसीद शेख निवासी जवाहरनगर, मस्जिद के पीछे घोसी मोहल्ला भीलवाडा।

1/10/2–शब्बा बानो पुत्री अब्दुल रसीद शेख निवासी जवाहरनगर, मस्जिद के पीछे घोसी मोहल्ला भीलवाडा।

1/11 मु. रहमानु पुत्री जहूर मोहम्मद पत्नी अब्दुल रसीद मुसलमान निवासी पंचमुखी दादाबाडी भीलवाडा।

––वादीगण

बनाम

1– श्री नूर मोहम्मद पुत्र चांदु खां मुसलमान के कायम मुकामः–

1/1. नसरूदीन पुत्र स्व. श्री नूर मोहम्मद शेख निवासी बाहला पुरानी धानमण्डी मदीना चौक भीलवाडा।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

1/2. मोईनुदीन शेख पुत्र स्व. श्री नूर मोहम्मद शेख निवासी बाहला पुरानी धानमण्डी मदीना चौक भीलवाडा।

1/3. रईफुदीन शेख पुत्र स्व. श्री नूर मोहम्मद शेख निवासी बाहला पुरानी धानमण्डी मदीना चौक भीलवाडा।

1/4. इसलामुदीन शेख स्व. श्री नूर मोहम्मद शेख निवासी बाहला पुरानी धानमण्डी मदीना चौक भीलवाडा।

2. श्री शफी मोहम्मद पुत्र चांदु खांजी शेख मुसलमान निवासी पुरानी धानमण्डी भीलवाडा।

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

––प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188–92क व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>उपस्थित:–</u>
श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता वादीगण
श्री अमित कोठारी अधिवक्ता–प्रतिवादीगण
श्री अभिमन्यु जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02

:: <u>निर्णय</u> :: <u>दिनांक 31.01.2024</u>

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2
श्री चान्दु जी वल्द बदरू जी शेख मुसलमान निवासी भीलवाडा के जायन्दा पुत्र है। मृतक
चान्दू जी वल्द बदरू जी शेख के नाम ग्राम हरणीकलां में भूमि में उनके खातेदारी की स्थित
है जिनके वर्तमान आराजी नम्बर निम्न प्रकार है।
खाता नम्बर 356 में 1/2 हिस्सा वादी जहूर मोहम्मद का व 1/2 हिस्सा मृतक चान्दुजी का
है आराजियात नम्बर निम्न है–
आराजी नम्बर 251 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 252 रकबा 1 बीघा
15 बिस्वा आ0नं0 253 रकबा 01 बिस्वा गु.मु. चाह इसी प्रकार खाता नम्बर 354 में चान्दु
वल्द बदरू जी शेख मुसलमान के नाम दर्ज है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–
आराजी नम्बर 507 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 508 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा,
आराजी नम्बर 1818/368 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 5 बीघा 02 बिस्वा भूमि
स्थित है।

इसी प्रकार मौजा पालडी में मृतक चान्दु, बदरू जी शेख के नाम रेवेन्यु रेकार्ड
जमाबन्दी में साबिक खाता नम्बर 216/205 में निम्न आराजियात स्थित है। साबिक आराजी
नम्बर 1192 रकबा 18 बिस्वा, आ0नं0 1193 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा आ0नं0 1198/2 रकबा
16 बिस्वा किता 03 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा हॉल सेटलमेन्ट के आराजियात खाता नम्बर
345 के आराजी संख्या 2020 रकबा 4 बीघा है। उक्त वर्णित आराजियात में से मौजा
हरणीकलां के खाता नम्बर 356 में 1/2 हिस्सा वादी का है व 1/2 हिस्सा मृतक चान्दुजी
का है व बकाया सारी भूमियॉ मृतक चान्दु जी की है और वही उनके एक मात्र खातेदा
काश्तकार थे व उनके जीवनकाल में ही वादी भी काश्त करता था। चान्दुजी का इन्तकाल
हुऐ करीब 4 वर्ष पूरे हो चुके है यानि उनका इन्तकाल तारीख 2.8.77 को हुआ और उनकी
मृत्यु के पश्चात भी वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 काश्त करते आ रहे है व वादी ए

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

ादीगण नम्बर 1 व 2 का हिस्सा बराबर बराबर यानि 1/3 हिस्सा वादी का एवं 1/3 स्सा प्रतिवादी नम्बर 1 का व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 02 का है और इसी अनुपात से ादी विधिवत बटवाडा करा रेवेन्यु रेकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। मृतक चान्दु जी का खाता विरासत से प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 ने ही वादी से पौषिदा तौर पर जरिये नामान्तरकरण वसियत नामे के आधार पर नामान्तरकरण मौजा हरणीकलां की आराजियात का जरिये नामान्तरकरण संख्या 183 से तारीख 28.12.1980 को करा लिया जो कतई गलत व अवैधानिक है। यह कि मुस्लिम कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने पुत्रो के नाम जायदाद वसियत करने का अधिकार नही है और वसियत कानूनन गलत व बेअसर है और इस वसियत के जरिये प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 वादी के हक व हिस्से तथा अधिकार से वंचित करने के अधिकारी नही है, और वादी मृतक चान्दु जी का जायज वारिस एवं उत्तराधिकारी होकर उनकी समस्त जायदाद का 1/3 हिस्से का मालिक है व आराजियात पर भी उसका कब्जा व अधिकार है। जिससे वादी ब मुकाबले प्रतिवादीगण मृतक चान्दु जी की आराजिया तमे जो वाद पत्र की कलम नम्बर 2 में बताई गई है में 1/3 हिस्सा वादी का होने की घोषणा कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 वादी के कब्जे व अधिकार तथा हको में नुकसान पहुचाने पर तुले हुऐ है तथा आराजियात में से हरे बम्बूल व अन्य वृक्ष काट रहे है जिससे प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबन्द कराया जाना जरूसी है कि प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 उक्त वर्णित आराजियात से कोई वृक्ष नही काटे व शकल परिवर्तन कर नुकशान नही करे करावे तथा वादी के कब्जे में दखल नही करे व यथा स्थिति कायम रहै तथा बाद घोषणा व विभाजन के इस अमर की भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 वादी के हक अधिकारो में किसी प्रकार से बेदखल नही करे। माफिक वादपत्र वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र की कलम नम्बर 02 में वर्णित आराजियात जो मृतक चान्दु जी की है वाके ग्राम हरणीकलां व पालडी में 1/3 हिस्सा वादी का होने वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार होने की घोषणात्मक डिक्री प्रदान कराई जावे।

वादीगण का वादपत्र संख्या 64/2002 दिनांक 28.1.2003 को डिकी किया गया इस निर्णय की अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के यहॉ होकर अपील संख्या 37/03 दिनांक 28.09.2005 को अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिकी को निरस्त की जाकर प्रकरण को पुनः सुनवाई की जाकर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया रिमाण्ड आदेश के अन्तर्गत प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 5.11.2005 को पंजीबद्ध किया जाकर उभयपक्षकारान की सुनवाई प्रारम्भ की गई। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के निर्णय दिनांक 28.9.2005 के विरूद्ध अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में होकर अपील प्रकरण संख्या 2005/6038 निर्णय दिनांक 8.6.2023 को भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.9.2005 एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 28.1.2003 को निरस्त कर पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.4.2023 के साथ संलग्न राजीनामे की वैधानिकता की जांच कर तदनुसार विधि सम्मत निर्णय एंव डिकी का आदेश पारित करने के आदेश दिये गये।

वादीगण का वादपत्र माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से निर्णित होकर प्राप्त होने से प्रकरण पुनः पंजीबद्ध किया गया। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित हुए उभयपक्ष अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.2005 एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.1.2003 माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दोनो निर्णय को अपास्त कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

रण में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.4.2023 के साथ संलग्न राजीनामा की
ानिकता की जांच कर तदनुसार पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार विधि सम्मत्
निर्णय एवं डिक्री का आदेश पारित कराया जावे।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है :-

1. यह कि चांद मोहम्मद शेख तथा इब्राहिम मोहम्मद शेख की आराजियात थी जो ग्राम हरणीकलां पटवार हल्का हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 507, 508, 251, 252, 253, 1818/368 है। उक्त आराजियात बाबत पक्षकारो में राजीनामा हो गया है। उपरोक्त राजीनामे के अनुसार तीनो पक्षो के बराबर बराबर रहेगी अर्थात प्रथम पक्ष का 1/3 हिस्सा, द्वितीय पक्ष का 1/3 हिस्सा तथा तृतीय पक्ष का 1/3 हिस्सा रहेगा।
2. यह कि ग्राम पालडी पटवार हल्का पालडी तहसील व जिला भीलवाडा आराजी संख्या 2020 में राजीनामा अनुसार तीनो पक्षो के बराबर बराबर रहेगी अर्थात प्रथम पक्ष का 1/3 हिस्सा, द्वितीय पक्ष का 1/3 हिस्सा तथा तृतीय पक्ष का 1/3 हिस्सा रहेगा।
3. यह है कि उपरोक्त आराजियात में तीनो पक्ष राजस्व रेकार्ड में अपने अपने हिस्से अर्थात 1/3, 1/3 तथा 1/3 तक रिकार्ड में प्रविष्टि कराकर खाता अलग अलग कर सकेंगे। परन्तु कोई भी पक्ष किसी भी पक्ष को एक दुसरे के खेत पर आने जाने तथा पाईप लाईन, लाने ले जाने से नही रोकेगा।
4. यह कि उक्त जमीनों में से कुछ जमीन पर रिसीवर नियुक्त है, भी पक्षकार सहमति से दूसरे का सहयोग करते हुए राजीनामा अनुसार रिसीवर हटवाने की कार्यवाही करेगे।
5. यह कि उक्त जमीन बाबत् रिसीवर के यहां जो भी रकम जमा है उस पर तीनो पक्षो का बराबर बराबर अधिकार रहेगा। अर्थात् रिसीवर से प्राप्त होने वाली रकम तीनों में 1/3, 1/3 तथा 1/3 विभाजित कर वितरित की जायेगी। तीनो का समान हक अधिकार रहेगा।
6. यह कि उक्त आराजियात में से कुछ आराजियात तथा अन्य आराजियात नगर विकास न्यास ने अवाप्त कर ली हैं। ऐसी अवाप्ति से प्राप्त होने वाला मुआवजा तीनो में समान रुप से बांटा जायेगा अर्थात् मुआवजे पर तीनो पक्षो का बराबर बराबर हक अधिकार रहेगा। यदि उक्त मुआवजा प्राप्त करने बाबत् तीनो पक्ष किसी व्यक्ति/ एजेन्ट या दलाल को नियुक्त करते है या पावर ऑफ अर्टोनी देते है या कोई अधिकार देते है तो ऐसे व्यक्ति से होने वाली रकम तीनो ही पक्षो में बराबर बराबर बांटी जायेगी।
7. यह कि सिंचाई विभाग, नगर विकास न्यास, रिसीवर या अन्य किसी भी राजकीय विभाग से मुआवजा प्राप्त होता है या किसी भी राजकीय विभाग में मुआवजा जमा है तो ऐसी स्थिति में तीनो का बराबर बराबर अधिकार होगा।
8. यह कि राजीनामा अनुसार कुऐं पर लगे पम्पसेट मोटर पर कोई लोन होगा तो तीनो पक्ष बराबर बराबर चुकायेंगे।
9. यह कि उपरोक्त आराजियात, मकानात सम्पतियों बाबत् राजस्व मण्डल अजमेर अर्थात् रेवेन्यू बोर्ड तथा राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर, राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा तथा तहसीलदार (रिसीवर) व अन्य व न्यायालयों में विचाराधीन है। न्यायालयो में विचाराधीन ऐसे समस्त प्रकरण इस राजीनामा के अनुसार तीनो ही पक्ष सहमति से डिक्री/ निर्णित करवा देंगे और न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामा डिक्री प्राप्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अपने अपने नाम पर करवा लेंगे।

राजीनामा इकरार दिनांक 14.2.2022 अनुसार वादग्रस्त ग्राम हरणीकलां के आ0नं0 507, 508, 251, 252, 253, 1818/368 एवं ग्राम पालडी प0ह पालडी के आ0नं0 2020 है ... के संबंध में पक्षकारान के मध्य विवाद नही रह ... ग्राम हरणीकलां के आ0नं0 507, 508 के संबंध में ... संबंधि प्रार्थना पत्र दिनांक 9.10.2023 प्रस्तुत किया गया है।

Shad अधिका...
...सहायक ...
...भीलवाड...

पक्षकारान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी संख्या 1/7 मरियम बेवा जहुर मोहम्मद का निधन दिनांक 22.3.2023 को हुआ इसके विधिक वारिसान पूर्व में ही वादपत्र में संयोजित है जिससे मृतक मरियम का नाम डिलीट कराया जाय प्रार्थना पत्र के साथ मृतक मरियम का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया है मृतक मरियम के वारिसान पूर्व में ही वादपत्र में वादी संख्या 1/1 से 1/3, व 1/8 से 1/11 है जिससे वादी संख्या 1/7 मरियम का नाम डिलीट किया जाता है।

अधिवक्ता वादीगण की और से दिनांक 15.01.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 151 जा0दी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में वादी संख्या 1/3 मोहम्मद उमर पुत्र जहूर मोहम्मद की दिनांक 26.12.2023 को मृत्यु हो गई है, जिसके विधिक वारिसान नसीम शेख पत्नी, निलोफर शेख पुत्री, बेनजीर शेख पुत्री, शाहिद हुसैन शेख पुत्र है इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नही है। अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 151 जा0दी0 का स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता वादीगण की और से दिनांक 23.01.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 151 जा0दी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में वादी संख्या 1/10 नरजहां बानू पत्नि अब्दूल रसीद मोहम्मद की दिनांक 12.01.2023 को मृत्यु हो गई है, जिसके विधिक वारिसान में वसीम अकरम शेख पुत्र, सब्बो बानो शेख पुत्री है इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नही है, अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 151 जा0दी0 का स्वीकार किया जाता है।

न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में पक्षकारान द्वारा दिनांक 13.4.2023 को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार ग्राम हरणीकलां तहसील भीलवाडा के आराजी नम्बर 251, 252, 253, 1818/368 एवं ग्राम पालडी तहसील भीलवाडा के आ0नं0 2020 में वादीगण 1/1, 1/2, 1/3/1 से लगायत 1/3/4 एवं 1/4 से लगायत 1/6 व 1/8 से लगायत 1/9 एवं 1/10/1 से लगायत 1/10/2 एवं 1/11 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 से लगायत 1/4 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 02 का 1/3 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित करने के अधिकारी है। पक्षकारान द्वारा जो रिलीजडीड की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके परीक्षण अनुसार रिलीजडीड सम्पादन दिनांक अंकित नही होने से एवं रिलीज में वादी संख्या 1/8 से लगायत 1/11 के हस्ताक्षर प्रमाणित नही होने से एवं रिलीज डीड में सभी के नाम भी अंकित नही होने से विधि मान्य नही है।

पक्षकारान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजीनामा ईकरार दिनांक 14.2.2022 में आराजी संख्या 1818/368 के स्थान पर सेहवन से टंकण की भूलवंश 368/1818 टंकित हो गया है, जिसे संशोधन कराया जाय वादपत्र के परीक्षण अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में आराजी संख्या 1818/368 रकबा 0.8 बिस्वा भूमि अंकित है अतः संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी संख्या 368/1818 के बजाय 1818/368 पढा जावे।

ग्राम हरणीकलां के आराजी नम्बर 1818/368 नूर मोहम्मद आत्मज चांद मोहम्मद 1/2 एवं शफी मोहम्मद आत्मज चांद मोहम्मद 1/2 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, इस आराजी में जहूर मोहम्मद आत्मज इब्राहिम मृतक के विधिक वारिसान 1/1, 1/2, 1/3/1 से लगायत 1/3/4 एवं 1/4 से लगायत 1/6 व 1/8 से लगायत 1/9 एवं 1/10/1 से लगायत 1/10/2 एवं 1/11 को राजीनामा दिनांक 13.04.2023 अनुसार 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 नूर मोहम्मद मृतक के वारिसान 1/1 से लगायत 1/4 का 1/3 हिस्सा रहेगा एवं प्रतिवादी संख्या 02 शफी मोहम्मद का 1/3 हिस्सा रहेगा।

ग्राम हरणीकलां के आराजी नम्बर 251, 252, 253 नूर मोहम्मद आत्मज चांद मोहम्मद 1/4 एवं शफी मोहम्मद आत्मज चांद मोहम्मद 1/4 हिस्सा, जहूर मोहम्मद

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

त्मज ईब्राहिम का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, इस आराजी में जहूर मोहम्मद आत्मज इब्राहिम मृतक के विधिक वारिसान 1/1, 1/2, 1/3/1 से लगायत 1/3/4 एवं 1/4 से लगायत 1/6 व 1/8 से लगायत 1/9 एवं 1/10/1 से लगायत 1/10/2 एवं 1/11 को राजीनामा दिनांक 13.04.2023 अनुसार 1/2 हिस्से के बजाय 1/3 हिस्सा रहेगा, इस आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 नूर मोहम्मद मृतक के वारिसान 1/1 से लगायत 1/4, 1/4 हिससे के बजाय 1/3 हिस्सा रहेगा, एवं प्रतिवादी संख्या 02 शफी मोहम्मद 1/4 हिस्से के बजाय 1/3 हिस्सा रहेगा।

ग्राम पालडी के आराजी नम्बर 2020 नूर मोहम्मद आत्मज चांद मोहम्मद 1/2 एवं शफी मोहम्मद आत्मज चांद मोहम्मद 1/2 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, इस आराजी में जहूर मोहम्मद आत्मज इब्राहिम मृतक के विधिक वारिसान 1/1, 1/2, 1/3/1 से लगायत 1/3/4 एवं 1/4 से लगायत 1/6 व 1/8 से लगायत 1/9 एवं 1/10/1 से लगायत 1/10/2 एवं 1/11 को राजीनामा दिनांक 13.04.2023 अनुसार 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 नूर मोहम्मद मृतक के वारिसान 1/1 से लगायत 1/4 का 1/3 हिस्सा रहेगा एवं प्रतिवादी संख्या 02 शफी मोहम्मद का 1/3 हिस्सा रहेगा।

राजीनामा दिनांक 13.4.2023 को अति0 निबन्धक (न्याय) राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा तस्दीक किया गया है। राजीनामा दिनांक 13.4.2023 के अन्तर्गत कृषि भूमि के संबंध में उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से से राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करने की डिक्री प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः एवं

-: आदेश :-

राजीनामा दिनांक 13.4.2023 को अति0 निबन्धक(न्याय) राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के अनुसार कृषि भूमि के संबंध में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से से राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करने की डिक्री निम्नानुसार प्रदान की जाती है।

(1) ग्राम हरणीकलां के आराजी नम्बर 1818/368 नूर मोहम्मद आत्मज चांद मोहम्मद 1/2 एवं शफी मोहम्मद आत्मज चांद मोहम्मद 1/2 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, इस आराजी में जहूर मोहम्मद आत्मज इब्राहिम मृतक के विधिक वारिसान 1/1, 1/2, 1/3/1 से लगायत 1/3/4 एवं 1/4 से लगायत 1/6 व 1/8 से लगायत 1/9 एवं 1/10/1 से लगायत 1/10/2 एवं 1/11 को राजीनामा दिनांक 13.04.2023 अनुसार 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 नूर मोहम्मद मृतक के वारिसान 1/1 से लगायत 1/4 का 1/3 हिस्सा रहेगा एवं प्रतिवादी संख्या 02 शफी मोहम्मद का 1/3 हिस्सा रहेगा।

(2) ग्राम हरणीकलां के आराजी नम्बर 251, 252, 253 नूर मोहम्मद आत्मज चांद मोहम्मद 1/4 एवं शफी मोहम्मद आत्मज चांद मोहम्मद 1/4 हिस्सा जहूर मोहम्मद आत्मज ईब्राहिम का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, इस आराजी में जहूर मोहम्मद आत्मज इब्राहिम मृतक के विधिक वारिसान 1/1, 1/2, 1/3/1 से लगायत 1/3/4 एवं 1/4 से लगायत 1/6 व 1/8 से लगायत 1/9 एवं 1/10/1 से लगायत 1/10/2 एवं 1/11 को राजीनामा दिनांक 13.04.2023 अनुसार 1/2 हिस्से के बजाय 1/3 हिस्सा रहेगा, इस आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 नूर मोहम्मद मृतक के वारिसान 1/1 से लगायत 1/4, 1/4 हिससे के बजाय 1/3 हिस्सा रहेगा, एवं प्रतिवादी संख्या 02 शफी मोहम्मद 1/4 हिस्से के बजाय 1/3 हिस्सा रहेगा।

(3) ग्राम पालडी के आराजी नम्बर 2020 नूर मोहम्मद आत्मज चांद मोहम्मद 1/2 एवं शफी मोहम्मद आत्मज चांद मोहम्मद 1/2 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, इस आराजी में जहूर मोहम्मद आत्मज इब्राहिम मृतक के विधिक वारिसान 1/1, 1/2, 1/3/1 से लगायत 1/3/4 एवं 1/4 से लगायत 1/6 व 1/8 से लगायत 1/9 एवं 1/10/1 से

लगायत 1/10/2 एवं 1/11 को राजीनामा दिनांक 13.04.2023 अनुसार 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 नूर मोहम्मद मृतक के वारिसान 1/1 से लगायत 1/4 का 1/3 हिस्सा रहेगा एवं प्रतिवादी संख्या 02 शफी मोहम्मद का 1/3 हिस्सा रहेगा।

राजीनामा दिनांक 13.4.2023 जो कि अति0 निबन्धक(न्याय) राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा तस्दीक किया गया है जो डिकी का पार्ट रहेगा। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करने की कार्यवाही करे। तदनुसार डिकी जारी हो।

(आव्हाद निवृति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

उनवान

1– श्री जहुर मोहम्मद पुत्र इब्राहिम शेख के कायम मुकामः–

1/1. मोहम्मद हबीब मोहम्मद पुत्र जहुर मोहम्मद शेख निवासी बहाला पुरानी धान मण्डी मदीना चौक भीलवाडा।

1/2. फकरूदीन पुत्र जहुर मोहम्मद शेख निवासी बहाला पुरानी धान मण्डी मदीना चौक भीलवाडा।

1/3. मोहम्मद उमर पुत्र जहुर मोहम्मद शेख निवासी बहाला पुरानी धान मण्डी मदीना चौक भीलवाडा–मृतक के बजाय :–

1/3/1– नसीम शेख पत्नी मोहम्मद उमर

1/3/2– निलोफर शेख पुत्री मोहम्मद उमर

1/3/3– बेनजीर शेख पुत्री मोहम्मद उमर

1/3/4–शाहिद हुसैन शेख पुत्र मोहम्मद उमर सर्वनिवासी बहाला पुरानी धानमण्डी मदीना चौक भीलवाडा।

1/4. अल्ताफ हुसेन पुत्र जहुर मोहम्मद शेख निवासी बहाला पुरानी धान मण्डी मदीना चौक भीलवाडा।

1/5. आबीद हुसैन पुत्र जहुर मोहम्मद शेख निवासी बहाला पुरानी धान मण्डी मदीना चौक भीलवाडा।

1/6. बरकत अली पुत्र जहुर मोहम्मद शेख निवासी बहाला पुरानी धान मण्डी मदीना चौक भीलवाडा।

1/7. मरियम बेवा जहूर मोहम्मद शेख निवासी बहाला पुरानी धानमण्डी मदीना चौक भीलवाडा (मृतक) **डिलीट**

1/8. मु. रमजानू पुत्री जहूर मोहम्मद शेख पत्नि मोहम्मद उमर निवासी फूटा खुर्रा रामगंज बाजार जयपुर

1/9. मुस. जुबेदा पुत्री जहूर मोहम्मद पत्नी इमामुदीन मुसलमान निवासी पुरानी धानमण्डी मोमीनो की मस्जिद के पास भीलवाडा।

1/10.नूरजहॉ बानू पुत्री जहूर मोहम्मद पत्नी अब्दुल रसीद मुसलमान निवासी मजदूर कालोनी घोषी मोहल्ला भीलवाडा मृतका के बजाय :–

1/10/1–वसीम अकरम शेख पुत्र अब्दुल रसीद शेख निवासी जवाहरनगर, मस्जिद के पीछे घोसी मोहल्ला भीलवाडा।

1/10/2–शब्बा बानो पुत्री अब्दुल रसीद शेख निवासी जवाहरनगर, मस्जिद के पीछे घोसी मोहल्ला भीलवाडा।

1/11 मु. रहमानु पुत्री जहूर मोहम्मद पत्नी अब्दुल रसीद मुसलमान निवासी पंचमुखी दादाबाडी भीलवाडा।

——वादीगण

बनाम

1– श्री नूर मोहम्मद पुत्र चांदु खां मुसलमान के कायम मुकामः–

1/1. नसरूदीन पुत्र स्व. श्री नूर मोहम्मद शेख निवासी बाहला पुरानी धानमण्डी मदीना चौक भीलवाडा।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

1/2. मोईनुदीन शेख पुत्र स्व. श्री नूर मोहम्मद शेख निवासी बाहला पुरानी धानमण्डी मदीना चौक भीलवाडा।
1/3. रईफुदीन शेख पुत्र स्व. श्री नूर मोहम्मद शेख निवासी बाहला पुरानी धानमण्डी मदीना चौक भीलवाडा।
1/4. इसलामुदीन शेख स्व. श्री नूर मोहम्मद शेख निवासी बाहला पुरानी धानमण्डी मदीना चौक भीलवाडा।
2. श्री शफी मोहम्मद पुत्र चांदु खांजी शेख मुसलमान निवासी पुरानी धानमण्डी भीलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

---प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188–92क व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 111/2023 राजस्व वाद

वादीगण की और से अधिवक्ता गोपाल अजमेरा उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से अधिवक्ता अमित कोठारी एवं प्रतिवादी संख्या 02 की और से अभिमन्यु जोशी उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 31.01.2024 को पीठासीन अधिकारी आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है –

राजीनामा दिनांक 13.4.2023 को अति० निबन्धक(न्याय) राजस्व मण्डल राज० अजमेर के अनुसार कृषि भूमि के संबंध में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से से राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करने की डिकी निम्नानुसार प्रदान की जाती है।
(1) ग्राम हरणीकलां के आराजी नम्बर 1818/368 नूर मोहम्मद आत्मज चांद मोहम्मद 1/2 एवं शफी मोहम्मद आत्मज चांद मोहम्मद 1/2 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, इस आराजी में जहूर मोहम्मद आत्मज इब्राहिम मृतक के विधिक वारिसान 1/1, 1/2, 1/3/1 से लगायत 1/3/4 एवं 1/4 से लगायत 1/6 व 1/8 से लगायत 1/9 एवं 1/10/1 से लगायत 1/10/2 एवं 1/11 को राजीनामा दिनांक 13.04.2023 अनुसार 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 नूर मोहम्मद मृतक के वारिसान 1/1 से लगायत 1/4 का 1/3 हिस्सा रहेगा एवं प्रतिवादी संख्या 02 शफी मोहम्मद का 1/3 हिस्सा रहेगा।
(2) ग्राम हरणीकलां के आराजी नम्बर 251, 252, 253 नूर मोहम्मद आत्मज चांद मोहम्मद 1/4 एवं शफी मोहम्मद आत्मज चांद मोहम्मद 1/4 हिस्सा जहूर मोहम्मद आत्मज ईब्राहिम का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, इस आराजी में जहूर मोहम्मद आत्मज इब्राहिम मृतक के विधिक वारिसान 1/1, 1/2, 1/3/1 से लगायत 1/3/4 एवं 1/4 से लगायत 1/6 व 1/8 से लगायत 1/9 एवं 1/10/1 से लगायत 1/10/2 एवं 1/11 को राजीनामा दिनांक 13.04.2023 अनुसार 1/2 हिस्से के बजाय 1/3 हिस्सा रहेगा, इस आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 नूर मोहम्मद मृतक के वारिसान 1/1 से लगायत 1/4, 1/4 हिससे के बजाय 1/3 हिस्सा रहेगा, एवं प्रतिवादी संख्या 02 शफी मोहम्मद 1/4 हिस्से के बजाय 1/3 हिस्सा रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा